राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमांक प–1(1)(जी–72)निकृ / ग्रुप–6 / 555–68 दिनांकः– 16-05-2017

निदेशक उद्यान विभाग राज0 जयपुर ।

निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर।

समस्त संयुक्त निदेशक कृषि / उद्यान

समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।

समस्त उप निदेशक कृषि (वि0)जि0प0 / उद्यान / सि0क्षै0वि0,इगानप।

समस्त उप निदेशक कृषि एवं पदेन परि0 निदेशक (आत्मा)

उप निदेशक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र कोटा।

समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि0 / उद्यान ।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / सम्बन्धित अधिकारी ।

विषयः– सहायक कृषि अधिकारी से कृषि अधिकारी सैक्शन–I (विस्तार) कनिष्ठ पद पर पदोन्नति उपरान्त वेतन निर्धारण एवं आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश बावत।

प्रसंगः– निदेशाालय के पत्र कमांक प–1(1)(72)निकृ / ग्रुप–6 / 10896–942 दिनांक 30.01.2017

उपरोक्त प्रसांगिक पत्र के द्वारा विभाग में सहायक कृषि अधिकारी से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को उच्च वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर स्थिर करने के कारण दो अधिक वेतन वृद्धियों का लाभ होने पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 के अनुसार एक वर्ष बाद वेतन वृद्धि स्वीकृत करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर आपके अधीन कार्यरत पदोन्नत कृषि अधिकारियों के वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों का परीक्षणोपरान्त संशोधित वेतन निर्धारण कर अधिक वेतन भुगतान की वसूली सम्बन्धित कार्मिक से करने हेतु लिखा गया था ।

वित्तीय सलाहकार कृषि द्वारा पत्रावली इस प्रकरण में मार्ग दर्शन हेतु वित्त विभाग को भेजी जाने पर उपरोक्त जारी दिशा निर्देशों को वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने

तक निदेशालय के पत्र कमांक 11240–503 दिनांक 17.03.2017 द्वारा आस्थगित किया गया।

प्रकरण में वित्त विभाग से प्राप्त टिप्पणी अनुसार श्रीमती रेखा तीरगर, श्री कैलाश चन्द की यदि रंनिग पे बैण्ड में पदोन्नति पूर्व एवं पदोन्नति के पश्चात दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुये 6 माह से अधिक की सेवा पूर्ण की गई है तो इन अधिकारियों की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2015 अपरिवर्तित रहेगी।

प्रकरण में श्रीमती रेखा तीरगर, श्री कैलाश चन्द एवं इनके समान सभी नियुक्त सहायक कृषि अधिकारियों (पे बैण्ड 2, 9300–34800 ग्रेड पे 4200) की कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति रंनिग पे बैण्ड में न होकर उच्च वेतनमान (पे बैण्ड 3, 15600–39100 ग्रेड पे 5400) में वर्ष 2015–16 में दिनांक 01.04.2015 की रिक्ति के विरूद्ध हुयी है तथा उच्च वेतनमान में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण फलस्वरूप दो से अधिक वेतन वृद्धियों का लाभ होने पर आगामी वेतन वृद्धि राज0 सेवा नियमो के नियम 31 के अनुसार 1 पूर्ण वर्ष के बाद स्वीकृत की जावेगी।

अतः निदेशालय के प्रसांगिक पत्र कमांक 10896–942 दिनांक 30.01.2017 के द्वारा सहायक कृषि अधिकारी से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरान्त वेतन निर्धारण एवं आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा निर्देश अनुसार संशोधित वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर तत्काल निदेशालय को अवगत कराने का श्रम करावें।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

कमांक प–1(1)(जी–72)निकृ/ग्रुप–6/555-68 दिनांकः–16-05-2017

प्रतिलिपि :–

1. वित्तीय सलाहकार कृषि, मुख्यालय जयपुर ।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय जयपुर को कृषि विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)